

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(2)(1)आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ. व पा.शी./गि.रि./2024/5230-255 जयपुर,दिनांक 26.07.2024

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टेट एरियाज (सस्पेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राज0 अधि0 सं. 21 सन् 1952) की धारा 03 व 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान सरकार एतद द्वारा रबी फसल सम्वत 2080 (वर्ष 2023-24) में रबी फसलों की कीगई नियमित गिरदावरी की राज्य के समस्त जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निम्न तालिका में अंकित जिलों के आगे लिखेनुसार 104 गांवों में कृषकों की फसलों में ओलावृष्टि से 33 प्रतिशत व अधिक खराबा होने के कारण उक्त गांवों को अभावग्रस्त घोषित करती है और निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 05 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित गांवों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2024 तक लागू रहेंगे साथ ही जिला भरतपुर की तहसील बयाना के 02 गांवों खरैरी व बागरैन में पाला शीतलहर से पान की खेती में 33 प्रतिशत व अधिक खराबा वाले व्यक्तिगत कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण की अनुमति दी जाती है:-

क्र.सं.	जिलो के नाम	तहसीलों के नाम	अभावग्रस्त घोषित गांवों की संख्या
1	बारां	छबड़ा	12
2	हनुमानगढ़	नोहर	02
3	नागौर	जायल, सांजू व डेह	78
4	डीडवाना-कुचामन	छोटी खाटू	12
कुल योग:-			104

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(भगवत सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

(1)

RajKaj Ref
8755340



Signature valid

.....लगातार
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.07.26 13:22:09 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता मंत्री, राजस्थान सरकार
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आ.प्र. एवं सहायता राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित जिला प्रभारी मन्त्री राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग जयपुर।
7. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
8. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राज., जयपुर।
9. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज., जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
12. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिव, राज., जयपुर।
13. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एन.डी.एम.डिवीजन) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
14. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (डी.एम.डिवीजन) कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
15. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, एनडीएमए भवन, नई दिल्ली।
16. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राज., जयपुर।
17. संभागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर व कोटा राजस्थान।
18. जिला कलेक्टर, बारां, हनुमानगढ़, नागौर, डीडवाना-कुचामन व भरतपुर, राजस्थान।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राज., जयपुर।
20. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
21. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
22. रक्षित पत्रावली/सांख्यिकी शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग।
23. अधीक्षक, केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है। कृपया इसकी 50 प्रतियां इस विभाग को भिजवाये।
24. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर को गजट नोटिफिकेशन में ऑन लाईन/ई-फाईल से प्रकाशित करवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं नियमानुसार डीएमआईएस पोर्टल खोलने हेतु।
25. सामान्य शाखा, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
(2) 8755340

Signature valid

Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.07.26 13:22:09 IST
Reason: Approved